



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2014/ज्येष्ठ 8, 1936

No. 1161]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/ JYAISTHA 8, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 मई, 2014

का.आ. 1406(अ).—भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 30 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1177(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2014 की पंक्ति 6 में “(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2014” के स्थान पर “(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014” पढ़ा जाए।

[फा. सं. 2/6/2014-सी.एल.-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th May, 2014

S.O. 1406 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs S.O. 1177(E), dated the 29th April, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th April, 2014, in line six, for “(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014” read “(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2014”.

[F. No. 2/6/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2014/वैशाख 10, 1936

No. 970]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2014/VAISAKHA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014

का.आ.1177(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2014 है।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) में, “ऐसी समादत्त पूंजी और आवर्त, जो विहित किया जाए, वाली कंपनी द्वारा या किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा फाइल की गई वार्षिक विवरणी” शब्दों के स्थान पर “ऐसी समादत्त पूंजी या आवर्त, जो विहित किया जाए, वाली कंपनी द्वारा या किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा फाइल की गई वार्षिक विवरणी” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 2/6/2014-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 29th April, 2014

S.O. 1177 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014.
- (2) It shall come into force at once.
2. In sub-section (2) of Section 92 of the said Act, for the words “The annual return, filed by a listed company or, by a company having such paid-up capital and turnover as may be prescribed”, the words “The annual return, filed by a listed company or, by a company having such paid-up capital or turnover as may be prescribed” shall be substituted.

[F.No. 2/6/2014-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

1820 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Note: To be read with SO 1406 (E) dt 27/5/2014.